राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम हजारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/02/2026 को पेश हो।	
06/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा ए, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 278, 280, 281, 282, 284 लगायत 310, 312, 313, 314, 315 कुल किता 36 कुल रकबा 7.36 हैक्टेयर के सन्दर्भ में एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 की एकपक्षीय बहस समायत कर आदेश दिनांक 04/02/2019 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20/02/2020 पारित करते हुए पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 04/02/2019 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों से यह जाहिर होता है कि मूल वाद विभाजन का है, जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये दिनांक 04/02/2019 को विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नही करने व अन्तरण नही करने तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के पारित अन्तरिम आदेश को ता-फैसला मूल वाद कन्फर्म किया गया है, जिससे सहखातेदारान को बतौर कृषक कृषि अधिकारों में बाधा उत्पन्न होना प्रकट होता है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद के निस्तारण के माध्यम से किये जाने विभाजन तक विवादित भूमि पर कोई निर्माण होकर उसका मौके पर स्वरूप परिवर्तित न हो तथा विशिष्ट भू-भाग का बैचान कर होने वाले विभाजन में	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बाबूलाल बनाम हजारीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किसी प्रकार की पेचीदगीयां उत्पन्न नही हो को सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित किया जाना चाहिये था | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20/02/2020 को निरस्त किया जाकर सहखातेदार को स्वयं के हिस्से तक बैचान की अनुमति प्रदान करते हुये विशिष्ट भू-भाग का बैचान नही करने एवं विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 06/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |